

हरियाणा सरकार

श. नं०. 1970
Dated 10-12-14



From

Haryana Government
General Administration Department
(Political Branch)

No. 31/1/2008-4 Pol,
Dated Chd., the 25-11-14

Subj: Joint committee on offices of Profit-
Examination of the Composition and
Character of Committees

विषय

अधिकारीगत छठ वि० प्र० को अवलोकन करने
का नष्ट करे।

Haryana Govt. General Administration
Deptt; (Political Br.) के पत्र दि० 25-11-14 के
अंतर्गत कार सचिव Secretariat के पत्र दि०
21/11/2014/CH, दिनांक 27-10-14 के संज्ञा में
सूचित किया है कि the Constitution of India
which stipulates that a person shall be dis-
qualified for being a Member of either House
of Parliament if he holds any office of
profit under the Govt. of India or the
Govt. of any State, then than an office
declared by Parliament by law not to disqualify
its holder,

Appendix-I vide para 4 of the letter
अनुसार सूचना मिजवाने बारे कहा गया है,
उस संबंध में दृष्टान्त में बताया जाता है
कि विभाग में किसी काई कमरे में गठित नहीं
गई है जिसमें काई Profit को
संबंधित मामला है, Appendix-I के
अनुसार विभाग की सूचना अनुरूप

है।
चूंकि अनुमानित है तो अनुरूप सूचना
गठ की जाय सूचना विभाग से संबंधित नहीं
है।

युक्त प्रश्न से:

हरियाणा सरकार



RIGHT TO INFORMATION

पिपर भी यदि अनुमोदित होते उक्त के संबंध में
से अनुमोदित करना नहीं की जाए।

कल्लु 5
12/12/14
अ. 110

31/12/14
'A'
Till date no committee on Office of Profit
exists in the Deptt. NIL report may be sent
submitted for approval of Mr DGA of
Rajpoot
12/12/14

~~DGA~~

'A' approved

~~DD~~

17.12.14

Rajpoot
17/12
17/12/14

SA

Asstt-II

कृपया प्राकृत अनुमोदनादि आदेशों पर प्रस्तुत

कल्लु
18/12/14
अ. 110

~~31/12/14~~

कल्लु
18/12/14

SA

Rajpoot
19/12

23/12/14 Asstt-II

19/12/14

Reply by
कल्लु
24/12/14

SA
24/12/14
Asstt-II



सूचना प्रयोग

RIGHT TO INFORMATION

Govt. of Haryana, General Administration Department (Political Branch) को सूचना अधिनियम के संबंध में प्रारूप की कवच सातियों हस्ताक्षर प्रस्तुत है।

24/12/14

वेबसाइट

31/12/14

24/12/14

30/12/14

31/12/14

कृ. जारी करे।
DESP
ASST-1

30/12/14

Issue No. 2002
dated 31/12/14

Amil

हरियाणा सरकार

Op.No. 702

Date 21-4-15



RIGHT TO INFORMATION

From

The Chief Secretary to Govt.,
Haryana, General Services-I

P.O.No. 62/10/2015-GSI

Dated Chandigarh, the 8-4-2015

Subj

Special Campaign for disposal of
Pending issues relating to
employees.

विषय

अधिकारीगण को वि.पत्र का भवत्व बनाने का

काम है।

मुख्य साहित्य, हरियाणा सरकार, के पत्र दि. 8-11-15 के अंतर्गत संबंधित विषय है कि ACP matters, pay fixation cases, retention in service beyond 50/55 years and Loan matters. से संबंधित सूचना मंजूर होने वाले क्र. 20-3-15 के खण्ड में यह भी संबंधित किया है कि प्रत्येक विभाग वि.पत्र के साथ सलग्न प्रोपार्ती क्रमिकार Regulator की Mediation करे। उन्होंने वर्ष 2013-2014 की सभी अधिकारीगण/कर्मचारियों की P.A.R.'s पूर्ण करने वाले निर्देश दिया है।

इस संबंध में अधिकारीगण के ह्यान में लाना जाता है कि विभाग में ACP, pay fixation, retention in service beyond 50/55 years से संबंधित कोई मामला Pending नहीं है। Loan cases से संबंधित सूचना-III से प्राप्त कर ले जाय वि.पत्र के साथ सलग्न

Performance में बिन्दु सं-3 पर Medical Reimbursement cases वाले भी सूचना BIL के लिए ले ले जाय सूचना प्राप्त होने पर कि उन द्वारा निव्यक्ति प्रोपार्ती में सूचना कर कर मंजूर ही जाय



RIGHT TO INFORMATION

पूर्व सूची:

Pending Loans / Medical Re-embursement cases की सूचना देना का कष्ट करें

डिल्ली
23/4/15

L-III उपरोक्त पुनी और जानकारी से सम्बंधित कोई Loan व Medical की sanction भैर प्राप्त कोई Pending नहीं है

अथ
23/4/15

आर.ए.ए.

सादि अनुमोदन हो तो इस संबंध में उचित सूचना भेज दी जाय।

इस अनुमोदनापत्र आदिमापत्र प्रेषण की अनुमोदनापत्र प्रस्तुत है।

डिल्ली
23/4/15

अधिकांश अधिपारीगण के दफान में लाया जाता है।

कि श्री कप्तान सिंह, पी.ए, एम-वेल्थ का M CP का मामला Service Book complete न होने के कारण Pending है तथा श्री जयपाल सेवकदार का Finalisation of disciplinary Case के आधार पर Pending है। उक्त अनुमोदनापत्र संज्ञान लेया कर दी गई है।

सादि अनुमोदन होतो उक्त विवरणानुसार निष्कारित होयामी में भर कर भेज दी जाय।

प्रस्तुत है। कुछ प्रारूप की स्पष्ट प्रतियां हस्तगतार्थ

उपरोक्त
डिल्ली
24/4/15
स्टेनो -
A-55TH-4

डिल्ली
24/4/15
अ.ए.ए.

अ.ए.ए.

अ.ए.ए.
24/4/15

REPRESENTATIVE
24/4
GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार
Dy. No. 916

Dated 27-5-11



RIGHT TO
INFORMATION

From

Chief Secy. to Govt. Haryana
Administrative Reforms Department

No. 1173/2008-3AR

Dated Chandigarh, the 12/13-5-2011

Subj: Financial Assistance for professional documentation of best practices fresh proposals.

विषय

राष्ट्रियकारीगण हउ वि० पठ का अवलोकन करने का महत्त्व है।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दि० 12/13-5-11 के अन्तर्गत सूचित किया है कि वि० पठ के साथ सम्बन्धित दि० 30-3-11 के अन्तर्गत कहा गया है कि Grievance से संबंधित यदि कोई सूचना प्राप्त हुई हो तो या कोई proposal किया गया हो तो इसकी सूचना उन द्वारा निश्चित प्रकार से मर कर अपने कारे उन्मुखित किया गया है।

इस संबंध में राष्ट्रियकारीगण के दृष्टान्त में कहा जाता है कि विभाग का पत्रिका से संबंध नहीं है। इस प्रकार Personal Public Grievance से संबंधित कोई सूचना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही इस संबंध में कोई proposal दिया जाता है। इस संबंध में विभाग का सम्बन्ध नहीं है।



RIGHT TO INFORMATION

सूचना का अधिकार

उत्तर: यदि उपरोक्त ~~हो तो उस~~
निर्धारित सीमाओं अनुसार ~~बुनियाद~~
कोज दी जाय

उपरोक्त ~~आदेश~~ प्रस्तुत

Cell No.
171615
[Signature]

विभाग न कोई financial assistance
professional documents ~~को~~
को भी है ~~उत्तर~~ ~~सुचना~~ ~~आदेश~~
31/8/15

[Signature]
23/8/15

Rajpaul
24/8

[Signature]

[Signature]
24/8/15

Asst-1

Dated 29-10-15



From

Additional Chief Secretary (SJ & E)
Social Justice and Empowerment
Department, Haryana, Chandigarh
No. 233, Dated 26-10-15

Subj: Regarding nomination of officials from
various ministries/Department for the
STU batch of the Sign Language
Interpreter Training Programme.

विषय

अधिकारीगण को विषय का अवलोकन करने
का कष्ट रहे।

Additional chief secretary, social Justice
and Empowerment Deptt, Haryana, Chandigarh
के पत्र दि. 26-10-15 के अंतर्गत सूचित किया
है कि Govt. of India reg. nomination of officials
from various ministries/Departments for the
STU batch of the Sign Language Interpreter
Training Programme being organized by the
Ministry of Social Justice and Empowerment,
Govt. of India New Delhi से साक्षर Training
आयोजित होगी. Sign Language Interpreter
से संबंधित Training लेना चाहता है। इसका
उमहरीन को सूचित किया है। उक्त Training

कारका यदि अनुमोदन हो तो समी को नोट
नर दिनांक 10/11/15 अवसथा विषयको file

शु. SJ&E, 401 की प्रती के साथ प्रस्तुत
की।

31/10/15

उक्त आदेशानुसार उक्त प्रती Computer से
विमल कर प्रस्तुत करें।

16/11/15 programmer

ASST-4 GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

33
19/11/15
20/11/15
ASST-4

SJSE के द्वारा e-mail 16/11/2015 को प्राप्त की गई है। किंतु वही same copy है उसे जो e-mail की copy attach हो रही है।



Sham
23/11/2015

ASH-II

कुछ programmer की रिजल्ट के संबंध में File पुनः प्रस्तुत है।

कृपया इसका पत्र की प्रती किरी अन्य विभागा से मिली प्रतिक प्रस्तुत करें।
23/11/15
अधीन

Sham
23/11/15

जिसी कि उसे संबंध अधीन महो को बात हुई
कुछ DO. No. 30-17/2010-DD-III (UOI, IU)

dated 30-9-2015 की प्रति computer से निकाल कर प्रस्तुत करें।

26/11/15
अधीन

Programmer

ASH-II

इस संबंध में Ashish mehta (Consultant (PWO)) के telephone पर बात हो गई है। उनके अनुसार इस training के लिए candidates को लिख गए हैं।

Sham
1/12/2015

ASH-II

कुछ प्रोग्रामर द्वारा दी गई सूचना का ऑनलाइन करके का भेजें।

4/12/15
अधीन



-10-
हरियाणा सरकार
Dy. No. 848 794

उत्तर 14/16/04-7-16

श्रीक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

क्र. 48/1/08-3 चौकसी (II)
दिनांक 29-6-16

विषय:

Removal of the name of Shri R.C. Sharma, HCS (Retd.) from the Panel of Inquiry officer.

विषय

आधिकारीगत शून्य विषय का अवलोकन करने का कसूर है,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के डा. दिनांक 29-6-16 के अन्तर्गत अधिसूचना है कि श्री आर. सी. शर्मा, सच. सी. 0/0 के लिए बनाये गए पैनल में दिनांक 20-8-2009 से रखा गया है। श्री आर. सी. शर्मा, आंच अधिकारी श्री दिनांक 20-8-2009 से अब तक कितनी जांच अलाट की गई है, उनका संख्या बताई जाए उक्त संख्या चौकसी विभाग की कीम मजौजा के बारे में बताया है,

इस संबंध में आधिकारीगत के दृष्टान्त में बताया जाता है कि श्री आर. सी. शर्मा, HCS (सेवा निवृत्त) के पास विभागा से संबंधित जांच का सामला नहीं माला गया है। इस संबंध में विभागा की संख्या 2009 है।

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

निरन्तर



प्रति प्रो. से.

आदि अनुमान - हो तो इस संबंध में
अनुमान के अभाव में भी अनुमान, चर्चील

अनुमान के अभाव में अनुमान

~~Call No~~
22/7/16

~~सहायक~~
मि. ए. ए. ए.
28/7/16

अनुमान के अभाव में अनुमान

अनुमान
26/7/16

~~मि. ए. ए. ए.~~
27/7/16

अनुमान के अभाव में अनुमान

~~Call No~~
29/7/16
सहायक

Received 18/8/16
Call No
16/9/16

वि. ए. ए. के अभाव में अनुमान नहीं है।

आदि अनुमान हो तो अनुमान के अभाव में अनुमान
की जाय। अनुमान के अभाव में अनुमान है।

~~Call No~~
29/9/16
अनुमान के अभाव में अनुमान

मार्ग
20.9.16

C-1 अनुमान के अभाव में अनुमान

~~Call No~~
29/9/16
अनुमान के अभाव में अनुमान
5/10/16

अनुमान के अभाव में अनुमान

~~Call No~~
25/10/16
अनुमान के अभाव में अनुमान



RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक

हरियाणा सरकार
उप. नं. 2887

Dated 23-11-17



अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
श्रीकृष्ण विभाग।

क्रमांक 9/17/1996- I चक्र
दिनांक 20/11/17

विषय।

राज्य श्रीकृष्ण कपुरों के अन्वेषण
आधिकारियों को उन क्षेत्रों की जांच
वाली जांचों में प्रत्यक्ष उपलब्ध
करवाने तथा पूर्ण सहायता/ सहयोग
देने बारे।

विषय

अधिकांशों को कुछ विषयों का अन्वेषण करने को
बतलाने के लिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रीकृष्ण विभाग के पत्र दिनांक 15-11-17 को अन्तर्गत
संबंधित विषय है कि सरकार की दिशाओं के
अनुसार जिन जांचों में राज्य श्रीकृष्ण कपुरों के
अन्वेषण आधिकारियों द्वारा विभागों से रिपोर्ट मांगी
जाये वह उन्हें पर घण्टे के अन्दर-उ उपलब्ध
करवाया जाये तथा जांचों से संबंधित सूचना प्रदाताओं
को उपलब्ध करवाने में सभी विभाग परम अर्थों
में पूर्ण सहायता/ सहयोग प्रदान करने वाले संबंधित
विभागों को।

जांचों के संबंध में रिपोर्ट संबंधित जांच
आधिकारियों को बार-बार स्मरण करवाने पर भी संबंधित
विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है और
परिणामस्वरूप अन्वेषण आधिकारियों को ऐसी जांचों
को पूर्ण व्यवस्था में अनावश्यक देरी तथा कार्टरों को
सामना करना पड़ता है। सरकार को इसका तत्पक्ष
में विचार है मसिद्ध में उक्त दिशाओं की
पालना की जाए ताकि संबंधित जांचों को
पूर्व करने में अनावश्यक देरी न हो।
इसकी पालना में जिनके बारे में
संबंधित विभाग है।

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE



कृपया ध्यान दें

किस संस्था में दफान में लाया
जाना है कि आदिप में उक्त दिशाना
की पालना की जायेगी तथा उक्त पत्र
की पावती भी मांग दी जाये

कृपया कृपया हेतु पावती में न
वर्षे प्रारूप का अनुमोदन अधिपत्रक
है

Cellular
6/12/17
अध्यक्ष

12/12/17

MRP
Chania
12/12/17
Muzin
12-12-17

~~WDG#~~

~~SA~~

TE
15/12

अधिकांश संस्थाएं
कृपया हेतु अधिकांश DEO

Muzin
15-12-17
Chania
15/12/17

Cellular
19/12/17

अधिकांश

कृपया प्रारूप की संस्था प्रतिमा
हस्ताक्षर प्रस्तुत है।

Reply to
Cellular
19/12/17

Cellular
17/1/18
अध्यक्ष

निवेदन



RIGHT TO INFORMATION

पूर्व सूच सं: _____

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हेम भाणा
सरकार, दार्जिली विभाग जो सचिवा
काज के संबंध में प्रारूप Retype
करवा दिया गया है।

सूच प्रारूप की स्पष्ट प्रतियाँ
उपरोक्त कार्य प्रस्तुत है।

कुलकर्णी

23/1/18

अध्यक्ष

अध्यक्ष

कुलकर्णी

23/1/18

राजेश्वरी
28/1

~~SA~~

में जारी करें।

Despatch No. 114
Dated 24.1.18

Jeyy
ARSH I

23/1/18

अध्यक्ष